दिनांक 2 मार्च 2020

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

अवकाश के दिनों में भी कर सकते हैं अपना संपत्तिकर जमा, लोगों के सुविधाओं के लिए खुला रहेगा काउंटर

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत संपत्तिकर जमा करने वाले करदाता अब अवकाश के दिनों में भी अपना कर जमा कर सकते हैं! उपायुक्त एवं राजस्व प्रभारी तरुण पाल लहरें ने इसका आदेश जारी कर दिया है! वित्तीय वर्ष 2019-20 का संपत्तिकर जमा करने के लिए यह अंतिम माह है इसके पश्चात जमा करने वाले करदाताओं को 18% अतिरिक्त अधिभार देना होगा इसके साथ ही 1000 रुपये शास्ती का शुल्क भी निर्धारित है! करदाताओं को राहत देने के लिए पूर्व में 2 से 6.25 प्रतिशत तक संपत्तिकर में छूट दी गई थी! ऐसे करदाता जो शासकीय सेवा में है या अन्य कार्यों में पदस्थ है जो कि अपने कार्य अवधि में टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं इन्हें अब शासकीय अवकाश के दिनों में भी संपत्तिकर , शिक्षा उपकर, जलकर इत्यादि कर को जमा करने में सुविधा मिलेगी! राजस्व प्रभारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि होली पर्व को छोड़कर मार्च माह के शेष अवकाश में कर जमा करने के लिए कार्यालय खुले रहेंगे!